

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०आर०आर० अपील वाद संख्या - 106/2023

आजाद मिर्जा बनाम जुबेदा खातुन वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

11/10/23

अपीलार्थी आजाद मिर्जा, पिता-स्व० फारुक मिर्जा, निवास ग्राम-भदवा, पो०-चैनपुर, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ द्वारा U/S-215 Of C.N.T Act-1908 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर सी०आर०आर० (ऑनलाईन) वाद संख्या-01/2022-23 में दिनांक-07.07.2023 को पारित आदेश विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ U/S-5 Limitation Act के तहत कालबाध कौ क्षान्त करने हेतु आवेदन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश की सच्चीप्रति संलग्न है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक-03/11/23 को रखें।

Chanday
11/10/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

03/11/23

अभिलेख उपस्थापित
अपीलार्थी वकालत हाजरी

Admitted.

Call for LCR

Issue Notice.

Put up on 05/12/23

Chanday
03/11/23

1631/11/23
03/11/23
1632/11/23
03/11/23

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/08/25	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष - वकालत हाजरी द्वितीय पक्ष - वकालत हाजरी पृष्ठ up on 23/09/25	
23/09/25	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष - वकालत हाजरी द्वितीय पक्ष - वकालत हाजरी विषयगत वाद V/S-2150 के CMT Act 1908 के तहत दायर किया गया है। जिसके संदर्भ में द्वितीय पक्ष द्वारा आपत्ति के आलोक में इस आदेश के साथ कि प्रथम पक्ष सुलेगत धाराओं के तहत पुनः अपील दाखल कर सकते हैं। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	